The reference is perhaps to the judgement of Supreme Court dated 8-4-1993 in the case of Auditor General of India and others Vs. Shri G. Ananta Rajeswara Rao wherein while holding that appointment on grounds of descent clearly violates Article 16(2) of the Constitution. the Supreme Court has upheld the Constitutional validity of appointment on compassionate grounds of widow/son/daughter of a Govt. servant who dies in harness to assist the family to relieve economic distress. Consequently, general instructions were issued on 9-12-93 that only a widow or widower or son or daughter or adopted son or adopted daughter of a deceased Government servant can be considered for appointment on compassionate grounds.

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्गों के आरक्षण के संबंध में 200 सूत्री रोस्टर को लागू किया जाना

4012. **श्री रामजी लाल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/पिछड़े वर्गों के निमित आरक्षण के संबंध में 200 सूत्री रोस्टर को देशभर में पूरी तरह से लागू कर दिया है ;

(ख) उक्त रोस्टर प्रणाली 31 मार्च, 1994 तक किन-किन विभागों और स्वायतशासी निकायों में लागू नहीं की गई है ;

(ग) 27 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान के अन्तर्गत 31 मार्च, 1994 तक जितने व्यक्तियों को नौकरी दी गई है उनकी राज्यवार संख्या कितनी है और क्या इस संबंध में कुछ रिक्तियां भरी जानी शेष है ;

(घ) इन शेष रिक्तियों को भरने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ङ) क्या अवर सचिव के पद पर प्रोन्नतियों आदि के मामले में और प्रत्येक विभाग में सेवारत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्गों से संबंध रखने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के संबंध में आरक्षण नीति का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है, यदि नहीं, तो इसे कब से प्रभावी किये जाने की सम्भावना है ?

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) अखिल भारतीय आधार पर खुली प्रतियोगिता द्वारा की जाने वाली सीधी भर्ती के संबंध में 200 सूत्री रोस्टर का प्रावधान करने संबंधी आदेश दिनांक 22-10-93 को जारी किए गए । इस रोस्टर का क्रियान्वयन विभिन्न नियोक्ता प्राधिकरणों द्वारा जब-जब रिक्तियाँ होगी, तब-तब किया जायेगा ।

(ख) यह रोस्टर राष्ट्रीय बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में तथा बीमा निगमों सहित भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों पर लागू है । यह स्वायतशासी निकायों पर लागू नहीं है ।

(ग) यह सूचना केन्द्रीयकृत रुप से नहीं रखी जाती है । इसके अतिरिक्त अन्य पिछड़ी श्रेणियों के लिये आरक्षण हाल ही में प्रारम्भ हुआ है अतः इस समय पिछली बकाया रिक्तियां होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) अन्य पिछड़ी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं है । अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये भी भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति के लिये कोई आरक्षण नहीं है ।

Reservation for Backward Classes

4013. SHRI RAMJI LAL : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether on the pattern of SC/ST, BC candidates would also be allowed unlimited chance for Civil Services Examinations instead of present four chances ;

(b) if so, by when the said scheme is likely to be implemented ;

(c) whether these candidates would also be given five years age relaxation : and

(d) the areas where BC candidates would be treated equal to SC/ST candidates ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SMT. MARGARET ALVA) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) and (d) Since the reservation for OBC candidates has just started it is too early to examine whether any relaxations and concessions are to be given to OBC candidates and if so which of those relaxations and concessions available to SC/ST may be given to OBCs.

Litigation on Trivial Service Matters

4014. PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether the Supreme Court in the case of Karam Pal Vs. Union of India 1985 (3) SCR(271) had held that the litigation on service matters is on the